भारत में निर्धनता एवं इसका निवारण

डा० म० शाहीदएकबाल

एम. कॉम, पीएच.डी

व्याख्याता, वाणिज्य विभाग

आरआर एस डिग्री ईवनिंग महाविद्यालय, रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार

परिचय-

कहीं भी गरीबी शांति एवं समृद्धि के लिए खतरा है।

भारत में स्वाधीनता के पश्चात से ही निर्धनता एक गम्भीर समस्या बनी हुई है क्योंकि गरीबों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। योजना आयोग के अनुसार वर्ष 1994-95 में देश की 39.6 प्रतिशत आबादी गरीबी-रेखा से नीचे थी। देश में अपार धनराशि के खर्च से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाएँ निर्धनता निवारण में लगभग असफल रही हैं जिसके कई कारण रहे हैं। निर्धनता एक विश्वव्यापी समस्या है यद्यपि विकासशील देशों में निर्धनता अधिक गम्भीर समस्या है लेकिन विकसित देशों में भी निर्धनता है। न्यूयार्क विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र प्राध्यापक सुश्री एडवर्डवुल्फ के अनुसार विकसित देशों की दृष्टि से सम्पत्ति और आय की असमानताएँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक हैं।

परंतु विडम्बना है कि स्वाधीनता के समय की भारत की जनसंख्या से अधिक आबादी आज गरीबी रेखा से नीचे है। सार हेगेल कहते थे कि "गरीबी एक सामाजिक घटना है "। महात्मा गांधी ने सोचा कि गरीबी किसी भी नागरिक समाज द्वारा किए जाने वाले सबसे खराब अपराध थी। भारत में गरीबी में दो पहलू, एक सामाजिक और एक सामाजिक-आर्थिक है। जो लोग सामाजिक रूप से खराब हैं वे आम तौर पर शैक्षिक और आर्थिक रूप से खराब होते हैं। भारत में गरीबी ज्यादातर पूर्ण शर्तों में गिना जाता है। डेमियन और राफी के अनुसार, भारत में गरीबी किसी भी व्यक्ति की नग्न आंखों में दिखाई दे रही है, जो इसे समझने की कोशिश करती है। उनके अनुसार एक गरीब भी अपने बच्चों को सरकारी वित्त पोषित स्कूल भेजने के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है जहां प्राथमिक शिक्षा किसी भी शुल्क से मुक्त प्रदान की जाती है। वह अपने बच्चों को सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में इलाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भारत में गरीबी की घटनाओं को कई अर्थशास्त्री द्वारा हाइलाइट किया गया है, उनमें से कुछ प्रो अमर्त्य सेन, जीनद्रीज़, सुरेश तेंदुलकर, तथा एस.सी. सक्सेना के नाम शामिल हैं। उनके अनुसार लगभग 25 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकली है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी को अस्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं, जिनकी पोर्टेबलपेयजल, स्वच्छता और दो समय के भोजन तक पहुंच नहीं है।

हमारे तेजी से विकासशील और तेजी से प्रगतिशील दुनिया की दौड़ में से एक यह है कि गरीबी व्यापक और प्रचलित बनी हुई है, और कमजोर आबादी कभी भी अधिक कमजोर हो गई है। रगनेरनस्करे मानते हैं कि जो लोग गरीब हैं वे गरीब हैं क्योंकि मानसिक और भौतिक स्तर पर वे गरीबी के दर्द से पीड़ित हैं, जिसे वह माध्यमिक गरीबी कहते हैं। ब्रिटिश राज से अरबपति राज तक अपने निबंध में थॉमसपिकेटी और लुकास द्वारा किए गए हालिया अध्ययनों में तर्क दिया गया कि 2013-2014 में अमीर और गरीबों के बीच का अंतर 1921-1922 से भी ज्यादा चमकदार था। [1] भारत में, सरकार द्वारा गरीबी रेखा से गरीबों को उठाने के कई प्रयासों के बावजूद, अभी भी ऐसे लाख हैं जिनके पास जीवन की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। गरीबों की तीव्रता और भारत में डाउनट्रोडनपॉलिसी निर्माताओं और अकादमिक दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। [2] यह अपने व्यापक प्रभावों के कारण है। पूर्ण संख्या में, भारत सामाजिक-आर्थिक

कमजोरियों के कारण गरीबी को अस्वीकार करने के लिए मजबूर होने के लिए लगभग 300 मिलियन व्यक्तियों की बड़ी संख्या में गरीब लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। [3] सेन गुणांक और बहु-आयामी सूचकांक के आधार पर अपनी दुर्दशा को मापते हुए, ऐसा लगता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग अभी भी अपने जीवन को गरीबी से बाहर करने के लिए संघर्ष करते हैं। गरीबी को परिभाषित करते समय, अर्थशास्त्री निर्वाह स्तर डेटा पर भरोसा करते हैं जो दुनिया भर में स्वैच्छिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य है।

भारतीय गरीबी : एक कालक्रम

ब्रिटिश राज के दौरान निर्धारित गरीबी रेखाएं एक शुरुआत में त्रुटिपूर्ण थीं क्योंकि ऐसी अधिकांश रेखाएं पर्याप्तता की प्रासंगिक भावना पर निर्भर थीं।1979 में, निर्वाह की जरूरतों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं और घरेलू व्यय पैटर्न से व्यवस्थित रूप से जोड़ा गया था। ग्रामीण भारत के लिए प्रति व्यक्ति 2,400 के कैलोरी मानदंड और शहरी भारत के लिए 2,100 को अपनाया गया था, और इन मानदंडों के व्यय के बराबर व्यय अनुभवी वितरण के माध्यम से पहचाना गया था।1973-1974 के एनएसएस सर्वेक्षण से उपभोक्ता व्यय। [4] 1970 के दशक के दौरान, अहलूवालिया एम एस, वीएनगाडगिल इत्यादि ने अध्यन का आयोजन किया गया।भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखाएं बन गईं। इन अध्ययनों में से अधिकांश ने माना कि प्रति व्यक्ति खपत व्यय या घरेलू खर्च आम तौर पर एक महीने या एक वर्ष की अवधि, भारत में गरीबी की गणना के लिए सही सांख्यिकीय विकल्प था।

शासकीय उपाय

नियोजित आर्थिक विकास के प्रारम्भिक वर्षों में गरीबी निवारण की कोई पृथक नीति लागू नहीं की गई क्योंकि सरकार और योजना आयोग का दृष्टिकोण था कि विकास-दर में वृद्धि के लाभ रिसकर अन्ततः गरीबों तक पहुँच जाएँगे और गरीबी खत्म हो जायेगी। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया कि देश में गरीबी का विस्तार बहुत अधिक था अर्थात विकास के प्रतिफल रिसाव-सिद्धान्त के अनुरूप गरीबों तक नहीं पहुँचे। इसलिये आठवें दशक में निर्धनता निवारण हेतु ग्रामीण विकास और रोजगार के अनेक विशिष्ट कार्यक्रम लागू किये गये। इनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय में निरन्तर वृद्धि के बावजूद गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मन्त्रालय के अनुसार ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन की लगभग 18 परियोजनाएँ लागू होने के बावजूद 1996 में 21 करोड़ ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे थे।

यह कहना गलत न होगा कि अपार धनराशि से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाएँ निर्धनता निवारण में लगभग असफल रही हैं। परियोजनाओं का दोषपूर्ण निर्माण और क्रियान्वयन बढ़ता प्रशासनिक व्यय, गलत हितग्राहियों का चयन, सामाजिक जागरुकता, का अभाव और भ्रष्टाचार इन कार्यक्रमों की असफलता के प्रमुख कारण रहे हैं। शासकीय स्तर पर इन परियोजनाओं की असफलता को स्वीकार करते हुये भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गाँधी ने झुंझनु, राजस्थान के ग्राम अराभट्ट में आयोजित आमसभा में कहा था कि गरीबों के कल्याण पर व्यय किये जाने वाले 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही गरीबों तक पहुँचते हैं और शेष राशि प्रशासनिक व्यय, मध्यस्थों की दलाली और सामाजिक शोषण को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था पर व्यय हो जाती है। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि पंचायती राज की स्थापना इन दोषों को समाप्त करने में सफल होगी।

यह खेदजनक है कि पंचायती राज इन दोषों को समाप्त करने में असफल रहा है क्योंकि न केवल पंचायतों के वित्तीय संसाधन कम हैं बल्कि निर्धनता परियोजनाओं के निर्माण की तकनीकी विशेषज्ञता भी उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, पंचायतों पर धनी किसानों का नियन्त्रण है जो सामाजिक असमानताओं

को प्रोत्साहित करते हैं। पंचायतें भी भ्रष्टाचार की बुराई से मुक्त नहीं हैं। स्वर्गीय राजीव गाँधी के निष्कर्षों की पुष्टि कर्नाटक में 1996 में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, बंगलौर द्वारा किये गये एक अध्ययन से भी होती है जिसमें कहा गया था कि सामाजिक कल्याण पर व्यय किये गये प्रत्येक रुपये में से केवल 13 पैसे ही सामान्य जन (निर्धन) तक पहुँच पाते हैं।

जनवरी 2015 में मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को तोड़ने से पहले, भारतीय आबादी के प्रतिशत के रूप में गरीबी पर डेटा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को योजना आयोग द्वारा जारी किया गया था। जुलाई 2013 में, योजना आयोग ने डेटा जारी किया जो दिखाता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग लगातार घट रहे थे- 2004-2005 में उन्होंने कुल आबादी का 37 प्रतिशत गठित किया, लेकिन 2011-2012 उनका प्रतिशत 22 प्रतिशत घट गया। वास्तव में, उपरोक्त डेटा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एनएसएसओ की रिपोर्ट से हटा दिया गया था। [5] कभी भी तेंदुलकर समिति ने जो खपत व्यय के आधार पर गरीबी अनुमान के लिए पद्धति का उपयोग किया, तब से खपत व्यय के आधार पर, तब से बहस का स्रोत रहा है क्योंकि यह गरीबी के कई पहलुओं जैसे कि माध्यमिक गरीबी को छोड़ देता है। हालांकि, तेंदुलकर समिति ने उसी पद्धति का उपयोग किया जो 1970 के दशक के शुरू से ही अभ्यास में था। [6] एनएसएसओ रिपोर्ट 2011-2012 की रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य भर में गरीबी अनुपात में कमी के बावजूद, इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की गरीबों के प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, बिहार में गरीबी अनुपात 2004-2005 में 54.4 प्रतिशत से गिरकर 2011-2012 में 33.7 प्रतिशत हो गया, लेकिन इसके बजाय अरुणाचल प्रदेश में गिर रहा था, यह 3.6 प्रतिशत बढ़ गया, यह 31.1 प्रतिशत से 34.7 तक बढ़ गया जबकि दिल्ली में कमी केवल 3.2 प्रतिशत थी, जबकि असम में यह केवल 2.4 प्रतिशत था। उपरोक्त असमानता इंगित करती है कि नौकरशाही मशीनरी और राजनीतिक नेतृत्व गरीबी में कमी में किसी भी समान परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं है।

ग्रामीण श्रम बल की शक्ति, जबकि एक ही समय में शहरी श्रम बल को सौदा करने में मुश्किल होती है जो विभिन्न श्रम चौकों पर अपनी बड़ी उपस्थिति से दिखाई देती है। [7] भारत में शहरी गरीबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक है, जिसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण की प्रवृत्ति से जाते हैं, तो दर्शाता है कि 30 प्रतिशत से अधिक भारतीय आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसका अर्थ है कि 2030 तक भारत की शहरी आबादी 50 प्रतिशत पर खड़ी होगी। तदनुसार, शहरी गरीबों का अनुपात लगभग 17 प्रतिशत तक बढ़ने के लिए निश्चित है। भारत में गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए किए गए कदमों ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को उठाया है और गरीबों को रोजगार प्रदान किया है ताकि वे 1980 के दशक से दैनिक मजदूरी कमा सकें। हालांकि, पिछले दशक में गरीबी को कम करने के लिए हालिया योजनाओं में शामिल हैं: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका (2011): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में इस योजना को लॉन्च किया। यह रोजगार प्रदान करने के लिए वस्तु है जो ग्रामीण कृषि के लिए पर्याप्त नियमित आय के लिए ग्रामीण गरीबों को सक्षम करेगा। ऐसा करने के लिए, जरूरी लोगों की मदद करने के लिए गांवों में स्वयं सहायता समूह बनते हैं। [8] लड़ाई भूख पहली पहल (एफएचएफआई) कार्यक्रम (2011): अक्सर यह देखा जाता है कि हालांकि कई कार्यक्रमों और योजनाओं को जरूरत में मदद करने के लिए शुरू किया जाता है, लेकिन संपत्ति उन लोगों तक नहीं पहुंचती है जो उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, यह शोषण की कमी के कारण हो सकती है लड़ाई भूख पहली पहल को 2011 में सरकार द्वारा रोजगार, बच्चों, बुनियादी शिक्षा और खाद्य आपूर्ति जैसी सरकारी योजनाओं द्वारा अर्जित अधिकारों के लिए समुदायों तक पहुंच में सुधार करने के लिए की गई थी। इस योजना का ध्यान

भारत के अधिकांश पांच पिछड़े राज्यों में है यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा,पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। एफएचएफआई उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में न्यूनतम सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय अधिकारियों को सक्रिय करने में समुदाय और घास के मूल संगठनों का समर्थन और सहायता करना चाहता है। [9] खाद्य सुरक्षा विधेयक (2013): खाद्य सुरक्षा बिल 2011 में संसद में पेश किया गया था और 12 सितंबर 2013 को एक अधिनियम बन गया था, जो इसे दुनिया भर में सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक बना देता था। इस कानून के प्रावधानों के तहत, लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसमें, तीन ₹ प्रति किलोग्राम गेहूं, दो ₹ प्रति किलोग्राम चावल। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, छह महीने और चौदह वर्षों के बीच के बच्चों, कुपोषित बच्चों, आपदा से प्रभावित लोगों, और जो निराशाजनक, बेघर और भूख से मरने वाले लोगों सहित विशिष्ट समूहों के लिए भोजन के पात्रता का प्रस्ताव करता है। रोल आउट 75% ग्रामीण आबादी को कवर करता है, क्योंकि वे समाज में सबसे अधिक वंचित खंड होते हैं, और शहरी आबादी का 50% तक होते हैं।

[10] 25 जुलाई 2017 को लोकसभा में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में सभी राशन की दुकानों को बंद कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को 857,000 उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए 91,584 टन अनाज आवंटित किया जाना था जिसे वर्ष 2017-18 से रोक दिया गया है और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ताकि लोग अपने सामान खरीदने के लिए 'नकद' का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की प्रगति को रोक सकता है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (2015): यह योजना मार्च 2015 में कैबिनेट द्वारा 1120 करोड़ रुपये के ओवरले के साथ 1.4 मिलियन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई थी। यह राष्ट्रीय कौशल विकास के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाता है। यह एक्स और बारहवीं ड्रॉपआउट के लिए श्रम बाजार में नवागंतुकों की मदद करने पर केंद्रित है। फार्म लोन छूट (2016-2018): मध्य प्रदेश,0 राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव 2018 के ठीक पहले, सरकार ने किसानों के ऋण को माफ कर दिया, जिससे वे उन ऋणों को मुक्त कर रहे थे। इस कदम को पहले तेलांगना या अन्य राज्यों में 2016 में लिया गया था। इस कदम की प्रशंसा की गई थी और साथ ही आलोचना की गई थी क्योंकि यह ऋण से अस्थायी राहत थी, यह मुख्य रूप से मुख्य समस्या के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं करता है। [11] 10% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (2019): भारत सरकार ने 7 जनवरी 201 9 को सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग सालाना 8 लाख रुपये कमाते हैं और 5 एकड़ जमीन से कम भूमि कमाते हैं भारत में गरीबी के खिलाफ प्रभावित वैश्विक कार्यक्रम विश्व स्तर पर कई पहल की जा रही हैं और भूख और गरीबी की समस्या को हल करने के लिए इनमें से कुछ हैं: बाल भूख और अंडरन्यूट्रेशनइनिशिएटिव (ईचुई) को समाप्त करना: यह एक वैश्विक पहल है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूपीपी) द्वारा शुरू की गई है जो वैश्विक साझेदारी सुनिश्चित करती है और बच्चों की भूख और कुपोषण के कारणों और प्रभावों को कम करने का लक्ष्य रखती है यह वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को जागरूकता और संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों के लिए मार्शल संसाधन का लक्ष्य है। किसी भी दिन, डब्लूएफपी में 5,000 ट्रक, 20 जहाज और 92 विमान हैं, जो कि अधिकांश आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थ और अन्य सहायता प्रदान करते हैं।

[12] एजेंडा 2030: एजेंडा 2030 सस्टेनेबलडेवलपमेंट लक्ष्यों को दिए गए संक्षिप्त नाम हैं (एसडीजीएस)। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्य हैं। एजेंडा के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य को "गरीबी खत्म करना" है।

अपने सभी रूपों में, हर जगह "और" अंत भूख, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करते हैं और बेहतर पोषण प्राप्त करते हैं, और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हैं "। इससे पता चलता है कि घटने की आवश्यकता गरीबी पर केंद्रित है और भूख के सबसे कठोर दुष्प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। [13] जैसा कि पहले उल्लेख किया गया निष्कर्ष, गरीबी मुख्य रूप से एक सामाजिक कार्य है। यही कारण है कि न्यायधीश जीवन रेड्डी जो फैसले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसे भारत सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले इंद्रःसाउनी मामले या मंडल मामले के रूप में जाना जाता है, यह कहते हैं कि पिछड़ेपन मुख्य रूप से सामाजिकता के अलावा जाति, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित हो सकता है, लेकिन एक होना चाहिए। 2008 में अशोक कुमार ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति बीपी के उपरोक्त दृश्य का समर्थन किया न्याधीश जीवन रेड्डी ने। इसलिए, गरीबी को समाज से आर्थिक उपायों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन समुदाय की भागीदारी के माध्यम से जहां ऐतिहासिक गलतियों को सही किया जाता है और उनके जाति और पंथ के बावजूद गरीब दिन की रोशनी देखते हैं और राज्य और समाज द्वारा स्वयं का लाभ उठाने के लिए सक्षम होते हैं। यह केवल इस उपाय के माध्यम से गरीबों को विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बनाया जा सकता है ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मूल्य का योगदान दिया जा सके।

संदर्भ

1. गरीबी का दुष्चक्र और पूंजी की कमी, समस्या-गरीबी / समस्या-गरीबी-इन-इंडिया-इन-इंडियन-ए-अवलोकन / 12841 संस्करण (23 मई 2018)

2. चंद्र शेखर गुप्ता बोगरापू, "गरीबी इन इंडिया", नोटियन प्रेस, इंक; 1 संस्करण (23 मई 2018)

3. भारत में गरीबी,मुद्दे / गरीबी।

4. एक चुनौती के रूप में गरीबी,परअतारास-ए-ए-ए-चैलेंज / गरीबी।

5. भारत में गरीबी अनुमान।

6. अमर्त्य सेन, "भारत में गरीबी और आर्थिक वितरण", जुगनॉट प्रकाशन, संशोधित संस्करण (5 अप्रैल 2017)।

7. ग्रामीण और शहरी के बीच तुलना भारत में गरीबी,ग्रामीण गरीबी-और-शहरी-गरीबी-भारत / 32149

8. एनआरएलएम, पर उपलब्ध।

9. फाइटहंगरफर्स्टइनिशिएटिव।

10. भारत में गरीबी अनुमान, गरीबी आकलन में भारत।

11. दत्त, रुद्दर,एवं के पी सुंदरम (2001), इंडियन इकोनॉमी, एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली,P9।

12. संयुक्त राष्ट्र भारत को संबोधित करने के लिए कदम उठाता है। पोषण पता-भूख-कुपोषण / (अंतिम बार देखा गया,24 दिसंबर 2019 को)।

13. सस्टेनेबलडिवेलपमेंट के लिए योजना

14. योजना आयोग (1998), नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002),vol-2.,नई दिल्ली।

15. दांडेकर,वी.एम एवं नीलकंठ रथ (1971)भारत में गरीबी, इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकलइकोनॉमी,पुना।

16. दत्त, रूदर.एवं के पी एम्सुंदरम (2001), (इंडियन इकोनॉमी) द्वारा। एस चंद एंड संस, नई दिल्ली, P-10।

17. बर्धान, पी.के. (1970), भारत में गरीबी, स्टैटिकलपब्लिशिंगसोसायटी कोलकाता।

18. हक, महबूब –उल (1971)," एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रिब्यूशन इन द 1970 – ए न्यूपर्सपेक्टिव ", डेवलपमेंटडाइजेस्ट, अक्टूबर।

19. सेनबी. आर. (1960), "द बेसिक फ़्रीडम- फ़्रीडमफ्रॉमहंगर" , फूड एंड एग्रीकल्चरऑर्गनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स, रोम, (1960)।

20. मिन्हासबी.एस. (1970), "ग्रामीण गरीबी, भूमि पुन: वितरण और विकास," भारतीय आर्थिक समीक्षा, वॉल्यूम। 5, नं. 1।

21.मिन्हास, बी.एस. (1974), योजना और गरीब, दिल्ली, मिन्हास, बी.एस. (1974), "कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण विकास: अनुभव और सबक," एम.एल. दंतवाला

22. कमजोर विकास के लिए क्षेत्रीय विकास, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्थान, बॉम्बे 1974।